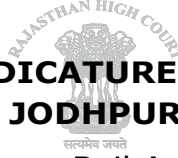




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3844/2026

1. Satyanarayan Alias Sattu Bajad S/o Shri Badrilal Gurjar, Aged About 29 Years, R/o Bajado Ka Kheda, Lambiya, P.s. Rayla, District Bhilwara (Presently Lodged At Dist. Jail, Bhilwara)
2. Gopal S/o Shri Kana Gurjar, Aged About 37 Years, R/o Jipiya Khedi, P.s. Mandal, District Bhilwara.. (Presently Lodged At Dist. Jail Bhilwara)
3. Udailal S/o Shri Devilal Gurjar, Aged About 26 Years, R/o Jipiya Khedi, P.s. Mandal, District Bhilwara.. (Presently Lodged At Dist. Jail, Bhilwara)
4. Narulal S/o Shri Durgalal Banjara, Aged About 28 Years, R/o Krishi Upaj Mandi Ke Samne, Nehru Road, P.s. Kotwali, District Bhilwara. (Presently Lodged At Dist. Jail, Bhilwara)

-----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. JK Haniya
For Respondent(s)	:	Mr. Hathi Singh Jodha, PP with Mr. OP Choudhary

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

28/03/2026

01. प्रार्थीगण-अभियुक्तगण की ओर से जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 483 बीएनएसएस पुलिस थाना करेड़ा जिला भीलवाड़ा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 10/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 310(4), 310(5), 111 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम के मामले में प्रस्तुत हुआ है।
02. मैंने बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का तर्क है कि इस मामले में चालान पेश किया जा चुका है। सहअभियुक्तगण प्रभुसिंह व मोनू से ही बरामदगी हुई



है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण से कोई बरामदगी नहीं हुई है। इस मामले में सहअभियुक्त अभिषेक सिंह का जमानत आवेदन संख्या 1468/2026 इस न्यायालय के आदेश दिनांक 23.03.2026 के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का उसके समान ही मामला है। विचारण में समय लगने की सम्भावना है। इन आधारों पर प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया।

05. मैंने उपरोक्त तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया। आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। सह-अभियुक्त अभिषेक सिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन संख्या 1468/2026 इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23.03.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थीगण-अभियुक्तगण का मामला सहअभियुक्त अभिषेक सिंह से भिन्न नहीं है। विचारण में समय लगने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना जुर्म की प्रकृति व परिस्थितियों में प्रार्थीगण-अभियुक्तगण को इस न्यायालय की राय में जमानत पर रिहा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण-अभियुक्तगण **1. सत्यनारायण उर्फ सत्तु बजाड़ पुत्र बद्रीलाल, 02. गोपाल पुत्र काना, 03. उदयलाल पुत्र देवीलाल, 04. नारूलाल पुत्र दुर्गालाल** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अधीनस्थ न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में प्रत्येक प्रार्थी-अभियुक्त एक-एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उन्हें इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J